निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 51/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

लक्ष्मण पुत्र कुशला जाति जाट निवासी खोरालाडखानी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला जयपुर।
2. विमला देवी पत्नी गणपत
3. श्रवण देवी पत्नी जगदीश
4. कमलेश पत्नी रामजीलाल

   समस्त जाति जाट निवासी हनूतपुरा उर्फ रूडी तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
5. चौथमल पुत्र हरदेव
6. भगवान सहाय पुत्र हरदेव

   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम छारसा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
7. रूड़ी देवी पत्नी कल्याण सहाय पुत्री हरदेव
8. फूली देवी पत्नी तेजपाल पुत्री स्व. हरदेव

   निवासी खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2023 ब उनवानी विमला देवी व अन्य बनाम चौथमल व अन्य।

उपस्थितः—

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. श्री सीताराम जाट, अप्रार्थी संख्या 2,3 व 4 की ओर से।

निर्णय दिनांक 20.06.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के समक्ष प्रकरण संख्या 01/2023 ब उनवानी विमला देवी व अन्य बनाम चौथमल व अन्य विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरणों को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2,3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम जाट उपस्थित।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

4. प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के समक्ष अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क उपधारा 1 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का उनवानी विमला देवी व अन्य बनाम चौथमल व अन्य दिनांक 01.02.2023 को पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.02.2023 को दर्ज रजिस्टर कर बिना प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये ही रास्ते के संबंध में तहसीलदार से रिपोर्ट के आदेश पारित कर दिये गए और आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.02.2023 नियत की गई। दिनांक 17.02.2023 को कार्य स्थगित होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.03.2023 नियत कर दी गई। दिनांक 17.02.2023 को तहसीलदार द्वारा बिना प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये ही मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.02.2023 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त मौका रिपोर्ट पर आपत्ति व जवाब के लिये अवसर चाहा गया, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को निर्देश दिये गए कि आप दिनांक 01.03.2023 को अपना जवाब/आपत्ति पेश कर दे। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 जो राजनैतिक व प्रभावशाली पहुँच वाले व्यक्ति है, जो अपने प्रभाव से अप्रार्थी संख्या 1 से मिलीभगत कर प्रार्थी की आराजी से नाजायत रूप से रास्ता निकलवाने पर आमादा है। इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार भी साबित होती है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को साफ निर्देश दिये है कि प्रार्थी दिनांक 01.03.2023 तक अपना जवाब/आपत्ति पेश कर दे। दिनांक 01.03.2023 को उक्त प्रकरण में फैसला कर दिया जायेगा। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 द्वारा भी प्रार्थी को यह ऐलानिया धमकी दी जा रही है कि आगामी तारीख पेशी पर आवश्यक रूप से रास्ता के आदेश करवा लिये जायेगे। प्रार्थी अप्रार्थीगण के इस कथन से अत्यन्त ही क्षोभ एवं आश्चर्य हुआ। प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि पीठासीन अधिकारी विशेष रूचि लेकर कार्यवाही कर रहे और उक्त प्रकरण को जल्द से जल्द निस्तारण करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 राजनैतिक पहुँच वाले व्यक्ति है तथा आर्थिक आधार पर सुदृढ़ है तथा आये दिन गांव में प्रार्थी को धमकी देता है कि मेरी पीठासीन अधिकारी से जानकारी है और शीघ्र ही यह मुकदमा अपने पक्ष में करवाउंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पीठासीन अधिकारी उक्त व्यक्तियों के प्रभाव में है तथा प्रकरण को बिना सम्यक कार्यवाही किये जल्दबाजी में निस्तारण करने पर आमादा है। प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की आशा नहीं है, इसलिए प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा में लम्बित प्रार्थना पत्र संख्या 01/2023 ब–उनवानी विमला देवी व अन्य बनाम चौथमल को सही व निष्पक्ष न्याय निर्णयन हेतु अन्य अदालत में स्थानान्तरण करने का आदेश फरमाया जावे।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब की मंशा से मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रकरण को अन्यत्र समकक्ष न्यायालय में स्थानान्तरित करने पर अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

6. उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोप असत्य एवं निराधार है एवं उक्त प्रकरण को अन्य किसी न्यायालय में स्थानान्तरण किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

जिला कलक्टर
जयपुर

7. उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
8. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये एवं उभय पक्ष द्वारा प्रकरणों के स्थानान्तरण में सहमति व्यक्त की गई है न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अतः संपूर्ण तथ्यों पर मनन फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
9. उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2023 ब उनवानी विमला देवी व अन्य बनाम चौथमल व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर को अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 12.07.2023 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर में उपस्थित हो।
10. उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।
11. निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा एवं उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
12. निर्णय आज दिनांक 20.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर